P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* (Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# विद्यालय समुदाय और शैक्षिक असमानताः अजा. अजजा. वर्ग के संदर्भ मे

**आर.एस. त्रिपाठी**
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बड़वारा

**शैलेन्द्र वर्मा**
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
कटनी कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय,
कटनी

**सारांश**

भारतीय जनसंख्या मे 8% तक आदिवासियों की जो अनुसूचित जाति जनसंख्या से कम है लगभग आधे के बराबर मध्यप्रदेश में 3.2 करोड़ आदिवासी जनसंख्या (2011) है। अभी तक आदिवासियो (अनुसूचित जनजाति से संबोधित) का प्रजातीय आधार मुख्य रूप से अधिक महत्व का माना है और अलग संस्कृति देशज भाषा भी भौगोलिक अधिवास से वर्तमान समय मे प्रमुख मानी जाती है। क्योंकि जनजातियों के विषय में परिभाषा की बहुलता है और एक प्रत्यय के रूप मे इसकी संकल्पना भारत और विश्व के संदर्भ मे पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अतः भारतीय जनजाति का समूह आस्ट्रेलिया अथवा अफ्रीका के तुलना में देशज मानने का आधार भिन्न है।

**मुख्य शब्द :** आदिवासी, शैक्षिक पिछड़ापन, सर्वशिक्षा अभियान, स्कूल परिसर, मध्यान्ह भोजन, सकल नामांकन दर, सकारात्मक भेदभाव, छात्र शिक्षक अनुपात, प्राथमिक शिक्षा।

**प्रस्तावना**

भारत मे अलग मूल, समस्या आदिवासियों के पहचान के संबंध मे है क्योंकि संवैधानिक आरक्षण के बावजूद जनजातियपन को बदलते संदर्भ मे देखना है और भारत मे ही जनजाति बहुल राज्यों मे भिन्नता सूची राज्यवार अलग है अजा के परिप्रेक्ष्य मे 'आर्थिक पिछड़ापन' को सबसे ऊपर रखना चाहिए। द्वैतीयक अधिक जोर 'नृजातीय पहचान' बनाये रखने या तथा कथित आदिवासीपन (Tribalism) बचाये रखने का है साथ में शिक्षा व साक्षरता की कमी से दो गुना पिछड़ापन या मूल धारा से बहिष्करण का रास्ता बनता है। कोशिश कि गई की समाज की मुख्यधारा मे शामिल हो परन्तु अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 15(4) जैसे प्रावधानो का प्रयोग एक सीमा तक आगे बढ़ाने मे मददगार रहा। अजा. एवं अजजा. वर्ग पिछड़ा वर्ग और अनंतकाल तक चलने वाली आरक्षण व्यवस्था की इकाई बन गई है प्रावधान आगे भी बनाये जायेगे इससे जातियों की सत्ता को भी मानेगे और भारत में जाति का अस्तित्व बना रहेगा।

**अध्ययन का उद्देश्य**

प्रस्तुत शोध आलेख मे वर्णनात्मक रूप से यह उद्देश्य सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र मे अनुसूचित जाति के संदर्भ मे प्राथमिक शिक्षा के पहुंच की स्थिति और इसके और अवरोधकों का अध्ययन करना है तथा यह ज्ञात करना है कि मध्यान्ह भोजन सर्वशिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्र मे वे कौन से कारण है जिनसे समाज का निर्बल वर्ग अपने बच्चों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी समस्या का सामना करता है। स्कूल शिक्षा मे भागीदारी देखना इन दोनों सामाजिक समूहों के स्तर पर इस उद्देश्य से अभिप्रेत है कि प्राथमिक शिक्षा का आंतरिक रूप से कितनी विभिन्नताएं है और उनका समुदाय के स्तर पर किस प्रकार का विभेद है क्या जाति व्यवस्था या ग्राम की सामाजिक संरचना प्राथमिक शिक्षा के संबंध मे उन अवधारणाओ को देखे जाने की भूमिका प्रगट करती है जैसे सामाजिक बहिष्करण, और सामाजिक समावेशन आदि।

जनजातीयाँ, देशज समुदाय अर्न्तराष्ट्रीय फलक पर है जनजातियो मे शिक्षा का स्तर आज भी पिछड़ा है आगे तेजी से बढ़ नही पायी है गैर अजजा. समुदायो तो पीछे है। कुछ समस्याये गिनाई जा सकती है। जो वर्तमान विमर्श मे आई है।

1. सांस्कृतिक अलगाववाद,
2. आर्थिक पिछड़ापन,
3. शैक्षणिक पिछड़ापन
4. राज्य प्रतिरोध बनाम वैचारिक संघर्ष का उभार।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* (Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

यहां शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने के प्रयासों पर विचार किया जायेगा।

1991 से 2000 और इसके बाद के दशक मे साक्षरता के लिये मुख्य कार्यक्रम चलाये गये। वर्तमान मे अलग – अलग राज्यवार योजनाएं भी लागू हो रही है।

1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वयस्क साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु चलाया गया। देश भर मे 45 ऐसे जिले मे जहां अल्प महिला साक्षरता थी। यह 272 जिलो मे सतत् शिक्षा कार्यक्रम के साथ लागू की गई थी।
2. 200 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना कि एक किलो मीटर की दूरी के भीतर हो।
3. सभी सरकारी स्कूलो मे शिक्षा शुल्क की समाप्ति तथा निःशुल्क पुस्तके, वर्दी (डेस), स्टेशनरी और स्कूल बैगा इत्यादि प्रोत्साहन।
4. संविधान का 86 वां संशोधन 13 दिसत्बर 2002 को लागू कर 6–14 वर्ष के सभी बच्चो के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया।
5. सर्वशिक्षा अभियान 2010 तक सभी को अनिवार्य शिक्षा 6–14 आयु वर्ग के बच्चो को उपयोगी और गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक दिलाने हेतु लागू किया गया था।

**(2004–2010)**

1. बालिकाओं पर अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओ पर विशेष ध्यान।
2. विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापिस लाने हेतु अभियान चलाना।
3. लड़कियो के लिये निःशुल्क पाठय पुस्तके।
4. शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम।
5. 50% महिला शिक्षको की नियुक्ति।
6. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) नीपा (NIEEPA) के अध्ययन से पता चला कि 60% से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलो मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है।
7. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) द्वारा अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने हेतु SSA मे जोड़ा गया। क्योकि शिक्षा लेने मे लड़किया कम आ रही थी। और उन जिलो को कॅवर किया गया जहां अजा. अजजा जनसंख्या – 5% तक जनसंख्या थी। इन जिलो मे साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से (1991 जनसंख्या) से 10% तक साक्षरता इस दोनो सामाजिक वर्गो मे थी। अध्ययन बताते है अनेक प्रयासो के बावजूद सकल नामांकन दरो का अन्तर कम नही हो पाया है। सामान्य और दूसरे वर्गो के बीच तुलना ग्रामीण और नगरीय अन्तर मौजूद है।

सारणी क्रं. 1.0
सकल नामांकन दर (अखिल भारत)

| संवर्ग | ग्रामीण | नगरीय |
|---|---|---|
| अनु.जाति | 9.6 | 21.2 |
| अनु. जनजाति | 7.1 | 30.6 |
| अन्य पिछड़ी जातीय | 15.0 | 27.5 |
| अन्य गैर अजा, गैर अजजा वर्ग | 19.8 | 40.0 |

NSSO – Round 66 th 2009-10

विभिन्न संवर्गों के बीच गहरा अन्तराल है। अनु. जाति के विषय मे यह कल्पना थी कि इन्हे शिक्षा के अवसरो को संवैधानिक संरक्षण का लाभ आगे बढ़कर मिलेगा परन्तु ऐसा नही है जनजाति संवर्ग से 2% तक ही आगे थे जबकि शहरी क्षेत्र मे नामांकन मे पिछड़ गये (अजा. 21% अजजा. 30% तक) इन दोनो की तुलना में अन्य पिछड़ी जातियां (OBC) ग्रामीण शहरी क्षेत्र मे उॅची थी 15% नामांकन दर थी अन्य वर्ग से तीन आरक्षण प्राप्त जातीय कोटियो (Coste Catagories) को पीछे रहना शिक्षा और आरक्षण प्रावधानो मे संसोधन करना सूचित करता है जबकि वर्तमान प्रयास आरक्षण में आरक्षण देने का है यह मुद्दा दूसरे शब्दो मे राजनैतिक हितो के लिये वोट बैंक के बहुचर्चित प्रत्यय से संसूचित हैं।

ग्रामीण भारत में स्कूल भागीदारी सम्बंधी अध्ययनों में ज्यां द्रेज और गीता गॉधी किंगडन (1999) ने किया है । इनके अध्ययनों में स्कूल में लड़कियों के प्रवेश, वापस घर बैठा देने तथा जाति, वर्गीय मान्यताओं के ऊपर कार्य किया गया है । आज भी बालश्रमिकों की भारत में बाढ़ है । मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक श्रम बाजार बाल श्रमिकों से भरा हुआ है । 1999 में पाया गया कि सभी भारतीय बच्चों में से 33 प्रतिषत बच्चे (स्कूल जाने लायक) स्कूल से बाहर हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा की विकास प्रक्रिया में नये समर्थ, कौषलवान नागरिक तैयार करने की भूमिका सर्वाधिक है । सबको शिक्षा का अधिकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमीकरण जैसे नारेनुमा प्रयास सामने आते हैं । स्कूल से बाहर बच्चों का अनुपात अजा व अजजा बच्चों में ज्यादा है । सरलीकरण इस समस्या का किया गया है जैसे माता–पिता की उदासीनता या उनके पहुॅच से बाहर होना, राज्य और श्रम बाजार में बच्चों को कम मजदूरी, काम के ज्यादा घण्टे, हड़ताल का डर नहीं जैसे पक्ष छिपे हैं इसलिए स्कूल भागीदारी पर कई पक्षों को पारस्परिक ढंग से जोड़ते हुए विचार करना होगा । गॉव में स्कूल प्राथमिक शिक्षा का दाया सार्वभौम या सभी के पहुॅच में राज्य मशीनरी स्कूली शिक्षा (मंत्रालय) पहुॅचा देगा, यह पूर्ण सत्य की जगह एकांकी तरीका हो सकता है कि सर्वांगीण शिक्षा का सपना आम भारतीय का पूर्ण हो । 'स्कूल गुणवत्ता' राज्य मशीनरी मंत्रालयी विषय है । कई अध्ययन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश पर प्राथमिक शिक्षा में 'स्कूल गुणवत्ता' पर ज्ञान और अन्वेषण तथ्य प्राप्त किए गए ।

**स्कूल की उपलब्धता**

राज्यों में कम से कम एक स्कूल प्राथमिक शिक्षा हेतु स्थापित है। इनकी प्रायः फीस नहीं है, इस स्कूल में गॉव के बच्चे भी (5–12) पढ़ने आते हैं । 2 किमी का दायरा और 500 जनसंख्या वाला गॉव अपने परिधि में रखता है जिसका संचालन राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग करता है। शहरी समीप के बड़े गॉव प्राइवेट कान्वेंट स्कूल से आशा रखते हैं जो 5 से 10 किमी तक शहरी परिधि पर हैं और स्कूल से गांव पहुंच रही है।

**जेण्डर भिन्नता**

प्रोब (PROBE : 1999) के सर्वेक्षण मे पाया गया कि 85% लड़के और 56% लड़कियॉ स्कूल में प्रवेष रजिस्टर में दर्ज होते हैं । इसके बाद भी गरीब घरों की लड़कियॉ स्कूल से बाहर रह जाती हैं । दर्ज किए लड़कियों में से 81% कक्षा–5 उर्त्तीण कर लेते हैं । दूरी उपलब्धियां छोटे भाई–बहनों का ख्याल रखने हेतु स्कूल से बाहर रह गयी हैं यह प्रवृत्ति लगातार पायी गयी है। शोधकर्ता कहतें हैं कि बड़ी लड़की छोटे भाई–बहनों की देखभाल की वजह से पढ़ने स्कूल या आगे की कक्षा में नहीं जा पाती । बेटी की पहली शिक्षा उसके भविष्य में, विवाह में शिक्षित वर मिलने की संभावना है । लड़की में पढ़ने की संभावना माता–पिता के निर्णय क्षेत्र का बड़ा फैसला है, जो गरीब परिवारों के लिए 'कौन सा स्कूल' के विकल्प से वंचित होगा। बच्ची की पढ़ाई 'सामाजिक मानदण्ड' से तैयार की जाने वाली कार्ययोजना है। परम्परा पोषित निर्णय होता है।

**शिक्षकों की व्यवस्था**

वर्तमान ग्रामीण विद्यालयो की स्थिति यह है कि प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक सहित 1–2 शिक्षक होते हैं जो प्रायः सरकारी कार्यों में लगा दिए जाते हैं । 40 छात्र पर एक शिक्षक हो तो भी संभावना कम है कि उन्हें सरकारी कामों से बाहर जाना न पड़े । पॉचवी कक्षा पर ध्यान पहली कक्षा से अधिक देना पड़ता है । जब शिक्षक न हो तो एक ही अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी शिक्षक कक्षा–5 तक बच्चों की कक्षायें लेता है । गैर–षैक्षणिक गतिविधि स्कूल गतिविधि के ऊपर सबसे अधिक दबाव डालती है ।

**विभिन्न स्कूलों और समुदायों के बीच स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता**

इसमें भिन्नता का बड़ा कारण गॉव की सामाजिक संरचना, स्कूल परिसर, शिक्षकों का नौकरी का वर्गीय ढॉचा, वे स्थायी शिक्षक हैं, संविदा हैं या अतिथि शिक्षक, जनशिक्षक हैं यह कई वर्गीय कोटियॉ शिक्षक के कार्य को हतोत्साहित करने वाला मानी गयी है । छात्र–शिक्षक बेहतर अनुपात तय करता है कि स्कूल की गुणवत्ता प्रशिक्षित शिक्षकों से है अथवा उन शिक्षकों से जो दस माह के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने आते हैं। स्कूल की गुणवत्ता, किताबें, फीस और दोपहर भोजन, साइकलों के उपलब्ध कराने की योजना पर टिकी है कि दोपहर भोजन के कारण बच्चे स्कूल में बने रहेंगे । स्कूल की गुणवत्ता अभिभावकों को अपने पाल्य बच्चों को स्कूल भेजना होगा । समुदाय स्तर पर बच्चे को स्कूल पहुॅचाना कठिन निर्णय तो नहीं फिर भी तटस्थ किस्म का है जो स्कूल जाने की लागत और लाभ की गणना करता है । कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है ? इसका पता लगाने कोई अभिभावक शायद ही स्कूल में जाए या अध्यापक से पता करे । स्कूल की गुणवत्ता के लिए प्रतिवर्ष नए प्रयास किए जाते हैं । ज्यॉ द्रेज ने स्कूल भागीदारी को घरेलू निर्णय माना है । इस निर्णय के लिए अहम कारक होते हैं – शिक्षा दिलाने की लागत, किताबें, फीस, कपड़े, स्टेषनरी पर अतिरिक्त व्यय यह निर्भर करता है कि घर का मुखिया अधिक कमाये उससे स्वास्थ्य बढ़ेगा और एक परिवार अपने बच्चों की शिक्षा से हासिल कर सकता है ।

अपने पड़ोसी से सम्मान या ईर्ष्या, बेहतर सामाजिक पारिवारिक प्रस्थिति, अधिक बाजार क्रय शक्ति और सौदेबाजी और बच्चों को खुश रखने की खुशी दूसरे बच्चों से तुलनात्मक बेहतर जीवन देने का आत्मसंतोष मिलता है।

आर्थिक गणनाएं स्कूली शिक्षा पर देखी जाती हैं, परन्तु गैर–आर्थिक कारक मनोवैज्ञानिक अधिक जान पड़ते हैं । उदाहरण के लिए पॉचवीं पास बच्चे को मार्कषीट पाने की खुशी । क्योंकि प्राइमरी के बच्चे को स्कूल तैयार करने की खुशी इसके लागत का गैर–आर्थिक फल है । गॉव में बच्चे माता–पिता के निर्णय से स्कूल को चयन के उपरान्त जाते हैं । बच्चे के निर्णय से परे प्रायः कमजोर वर्ग के बच्चों को माता–पिता की अशिक्षा की पूर्ति, पड़ोस से सीख और प्रेरणा को माना जा सकता है ।

विद्ववानों को कहना है कि सामाजिक मानदण्डों को नए प्रयोग और प्रावधान, जैसे–शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य सार्वभौमीकरण की वजह से स्कूल शिक्षा समाजपरक कही गयी है ।

**स्कूल समुदाय और बालक**

यह अपेक्षाकृत जटिल मॉडल है । जाति के आधार पर सुविधाओं का स्कूल से लेकर अपने घरों तक में देखना है जिसे हम जाति आधारित विभेदीकरण और मॅहगी पढ़ाई वाले अभिजात स्कूलों के बदले सरकारी प्राइमरी स्कूलों तक बढ़ी है जो आय, शिक्षा, सामाजिक गतिषीलता के चलते स्कूल का आन्तरिक ढॉचा और गॉव की जातीय संरचना में प्रगट होती है । इसके कारक कई हैं, जैसे– अभिभावक साक्षरता और जातीय ढॉचे, भेदभाव, आमदनी का जरिया, बच्चों के स्कूली शिक्षा को प्रभावित करता है ।

ज्यॉ द्रेज का कहना है कि सकारात्मक भेदभाव, नीतियॉ (उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और जाति आधारित रोजगार आरक्षण के लिए स्कूल प्रोत्साहन) जाति आधारित सोच में कमी लाने में सफल रहा है । अतः अजा वर्ग के बच्चों की स्कूल नामांकन और उपलब्धियों में इससे आषातीत वृद्धि हुई है । स्कूल व्यवस्था जाति निरपेक्षता की ओर बढ़ चुकी है ऐसा कहना कठिन है।

माता–पिता अभी भी कम शिक्षित हैं, अतः वे शिक्षा को आगे बढ़ने की सीढ़ी नहीं मानते, इसके कारण अजा वर्ग को अधिक और सामान्य को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा । संपत्ति भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण पर भी स्कूल शिक्षा में भागीदारी पर विचार करने

योग्य क्षेत्र हैं । पषुपालन, खेती, दुकानें, घरेलू खुदरा दुकानें आदि पेषे और व्यवसाय से श्रम खपत (बाल श्रम विषेषकर) होता है । छोटे बच्चे गाय–बकरियॉ चराते हुए मिल जाते हैं । माता–पिता की अधिक शिक्षा से बच्चों को पढ़ाने की सकारात्मक भूमिका है । लड़कियों के लिए स्कूल का प्रबंध मिडिल से होता है । मातृ शिक्षा से लड़कियॉ अपने मिडिल, हाई स्कूल को पहुॅचती हैं । इससे दो कारक जुड़े हैं अभिभावक साक्षरता और घर की आमदनी सीधे प्राथमिक तक और इसके आगे पढ़ाई में प्रभावी कारक है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की उपस्थिति से कार्य चलता है । सकारात्मक कक्षा का आकार और विद्यार्थियों की उपस्थिति और छात्र–शिक्षक अनुपात भी सहयुग्य कारक है ।

स्कूल भवन की दषा से बच्चों में आकर्षण और स्कूल पहुॅचने की उत्साही क्रिया पायी जाती है। इस दिषा में कई सहयोगी कारक हैं, जैसे–भवन की स्थिति और पहुॅच, भौतिक आधारभूत संरचना (पेयजल, शौचालय आदि), कक्षा अभ्यास, नयी तकनीक का प्रयोग, नवाचार, प्रोत्साहन योजनाएं (छात्रवृत्ति से लेकर बालक सभा तक) कई विद्ववानों ने देखा है कि शिक्षक–छात्र. का तालमेल पढ़ाई, अनुषासन मायने रखता है । कारक जो स्थापित हैं, जैसे–महिला शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति, सह शिक्षा की देखरेख, महिला शिक्षकों मे प्रधानाध्यापक महिला हो । शिक्षकों का आना, रहना और स्कूल अवधि में प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षक का स्थानीय होना, शारीरिक दण्ड, प्रोत्साहन, अभिभावक–शिक्षक–छात्र सहयोग की दषा, गैर–षैक्षणिक दषाएं । हालांकि यह शोध का शिक्षाषास्त्रीय पक्ष अधिक है । प्रायः व्यवस्थित ढंग से शोधकर्ता टीम होने पर सर्वेक्षणों के परिणाम व्यापक कव्हरेज करते हैं और अधिक उपयोगी सूचना मिलानी चाही जाती है।।

प्राइमरी में पंजीयन एक प्रष्न है । लर्निंग प्रोसेस इससे आगे का सवाल है। अधिक उम्र के बच्चे (13 +) स्कूल (पॉचवीं तक) रूक जाते हैं । समाजषास्त्र एक स्कूल व्यवस्था को सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था की उपप्रणाली के रूप में गिनता है कई समस्याये इस परिधि से ऊपर है।

1. शिक्षक (प्रधान) का माता–पिता सम्पर्क (यदि समस्या है, या बनी हुई है ),
2. अभिभावक शिक्षक संघ कागजी खानापूर्ति के चल रहा हो,
3. स्कूल स्वयं किसी समस्या का समाधान करने में कैसे सक्षम होगा ?

अतः प्राथमिक शिक्षा की प्रेरणा का स्त्रोत स्कूल वातावरण, माता–पिता और शिक्षक से तैयार होता है। प्राथमिक सहशिक्षा व्यवस्था बनी हुई है । अजा या अजजा का बच्चा यदि अच्छा कर रहा है तो वह कैसे सवर्ण जातियों के लिए स्वाभाविक माना जाए ? यह भी पूर्वाग्रह के दायरे में है । प्राथमिक शिक्षा के समाजषास्त्र का दायरा स्कूल शिक्षा की उपव्यवस्था को पहचानना प्रथमतः है । नामांकन दर और स्कूल लोकेषन के बीच प्रभाव पाते हैं । अभिभावक की शिक्षा सकारात्मक कारक है । बच्चों को स्कूल भेजना क्रमषः अनिवार्य प्रक्रिया है जो घरेलू नियंत्रण और निर्णय के परिधि पर निरपेक्ष हो गयी है। अजा, अजजा, सामान्य वर्ग के बच्चों के बीच आरक्षण कार्यवाहियॉ प्रोत्साहन को मूर्तरूप में प्राप्त कर रहीं है । शिक्षा और विस्तृत संचार माध्यमों का प्रभाव इस ग्रामीण परिवर्तनोन्मुख जीवन पर दिखता है । डिजिटल शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा के गॉव–गॉव में खुले सेन्टर, ऑनलाइन आवेदनों, प्रषिक्षण कार्यों का बाजार, दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या (कई करोड़ 5.60 करोड़) देहात की हो चुकी है । स्कूल प्रणाली में पाठ्यक्रमों का प्रसारण और ज्ञानवाणी जैसे कार्यक्रमों के लिए स्कूलों में टी.वी. सेट प्रदान किए गए हैं, ताकि बच्चों को श्रव्य, दृष्य माध्यम से शिक्षा दी जाए ।

ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने या षिक्षण विधियों का प्रोत्साहन डिजिटल शिक्षा है जिसका प्रषिक्षण अध्यापकों को बराबर दिया जाता है । ज्ञानदर्षन, आकाषवाणी और एनसीईआरटी द्वारा प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए दिया जाता है । षिक्षण हेतु आपरेषन माड्यूल बनाया गया है । प्रौढ़ शिक्षा योजना को शिक्षा क्रांति के इस दौर का बड़ा क्रांतिकारी कदम था । स्कूल आज अपने ग्राम में स्थापित संस्था है जैसे अन्य औपचारिक संस्थाएं हैं । एक गॉव में स्कूल उसकी स्थानीय व्यवस्था का प्रत्यास्थ (Contextual) और गतिषीलता (Dynamic) परिस्थिति के आधार हैं । लोककल्याण योजना के सफल परिचालन में स्कूल शिक्षक चुनाव, जनगणना, पषुगणना, प्रोटोकाल, प्रषिक्षण ढेर सारे कार्य अपने पदस्थ विद्यालय के ग्राम में करने हेतु सूचित होता है जिन्हें वे मतदाता सूची पुनरीक्षण, राषन कार्ड वेरीफिकेशन, सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण, विभागीय स्कूल चलो अभियान के सर्वेक्षण के साथ करते रहते हैं । ऐसे अध्ययनों की कमी है जो ग्रामीण परिवर्तन के उपायों के प्रभाव को लेकर हुए है । आवास, ग्रामीण रोजगार योजनाएं, नकदी मुद्रा, ऋण (कृषकों के लिए), भूमिहीन सहायता, वित्त पोषण, सामाजिक सुरक्षा योजना, पेन्षन योजनाएं, शिक्षा हेतु बैंक ऋण योजनाएं जैसे पचासों योजना केन्द्र और राज्य स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से लागू हो रही हैं इन सब मे शिक्षक किसी न किसी रूप मे संलग्न है। स्कूल और सरकारी योजनाओं के ग्रामीण समुदाय विशेषकर अजा. एवं अजजा. प्रधान योजनाओं के ऊपर प्रभाव को देखना चाहिए । इन योजनाओं के नामकरण देश के नेताओं के नाम पर हैं । शिक्षा सम्बंधी प्रोत्साहन योजनाएं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के नाम पर चली हैं, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च शिक्षा फैलोषिप, अम्बेडकर के नाम पर कई योजनाएं चल रहीं हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति विकास निगम, राष्ट्रीय जनजाति विकास की योजनाएं मंत्रालयों से अथवा गठित आयोग से प्रवर्तित हैं ।

**निष्कर्ष**

स्कूल उसी समुदाय के अंग हैं, जहॉ कई प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाएं चल रही हैं । पंचायतों को को सौपने हेतु 1993 के बाद शिक्षा के लिए ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, जो सीधे संविदा पंचायत शिक्षा कर्मी पर नियंत्रण, स्कूल का निरीक्षण, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था पंचायतों के जिम्मे है । आंगनबाडी स्कूल और स्कूलों में

पदस्थ कर्मचारियों को उपस्थिति और जिला पंचायत कैडर के शिक्षा–संविदा कर्मचारियों को स्थानांतरण करने का कार्य पंचायतों को दिया गया है । ग्रामीण विकास एवं पंचायतें शिक्षा व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित करती हैं, क्योंकि इन्हें शिक्षा विभाग को नौकरषाही का अंग समझने का विचार निहित है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. *रूपचन्द्र वर्मा –(1997) भारतीय जनजातियाँ : अतीत के झरोखे से प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।*
2. *ज्यां द्रेज, अमर्त्यसेन (2017) भारत और उसके विरोधाभाष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।*
3. *ज्यां द्रेज, (सम्पा.), (2018) भारतीय नीतियो का सामाजिक पक्ष वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली*
4. *राम आहूजा (2000), भारतीय समाज, रावत पब्लिकेषन, जयपुर ।*
5. *अवनीन्द्र शील (2006), उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षक, साहित्य रत्नालय, कानपुर ।*
6. *श्यामाचरण दुबे (1994), शिक्षा समाज और भविष्य, राधा कृष्ण प्रकाषन, नई दिल्ली ।*
7. *रामषरण जोषी (1997), आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रंथषिल्पी (इंण्डिया) प्रा.लि., दिल्ली।*
8. *बीद्रीस एवालास (1997), गरीब बच्चों की शिक्षा, अनुवादक : नरेष नदीम, ग्रंथषिल्पी (इंण्डिया) प्रा.लि., दिल्ली ।*
9. *नामांकन डाटा, शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन–2011 पर आधारित है ।*
10. *सुखदेव थोराट (2016) भारत में दलित : एक समान नियति की तलाष, सेन पब्लिकेषन।*
11. *एस. गुप्ता (2014) भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्वतन्त्रता से पूर्व तथा पश्चात्।*
12. *अरूण कुमार, (2014) आधुनिक शिक्षा और दलित, सम्पादक रावत पब्लिकेशन्स*
13. *Geetha B. Nambission (Ed.) (2014) Socilogy of Education S. Srinivasa Rao in India, Oxford University Press.*
14. *Govinda. R. (Ed.) (2011) Who goes to School ? Exploring Exclusion in Indian Education, Oxford University Press*
15. *Ajim Premji Foundation, (2012) The Social Context of Elementary Education in India.*
16. *Geetha B.Namissan (2012), Caste and Social discrimination Forms, Nature & Consequences in Education in Sociology of Education in India, Changing Countors and Emerging Concerns, OUP, New Delhi.*
17. *David Kartley, (1985) Understanding the Primary School.: A Sociological Analysis, Routledge, London,*
18. *Velaskar, P.(2010), Quality and Inequality in Indian Education, Contemporary Education Dialauge, 7:1.*